


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अशोक कुमार बनाम प्राधिकृत अधिकारी 165 / 17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2015 से विचाराधीन चल रहा है तथा प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्थगन अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थगन अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (टी०रविकान्त) संभागीय आयुक्त जयपुर। </p>	